फा.सं. 15010-2/2016-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग
****

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 05 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए जाने के संबंध में।

****

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 22.07.2014 के परिपत्र सं. 12019/35/2013-रा.भा. (शिका.) के अनुसार "हिंदी समाचार-पत्रों में हिंदी में विज्ञापन' दिए जाने चाहिए न कि अंग्रेजी में"। राजभाषा विभाग के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राप्त होने वाली अधिकांश शिकायतें हिंदी समाचार-पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जाने के बारे में होती हैं।

संसदीय राजभाषा समिति भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान इस अपेक्षा पर बल देती है। अत: इस मंत्रालय के सभी ब्यूरो तथा इनके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि हिंदी के समाचार-पत्रों में विज्ञापन हिंदी में तथा अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में अंग्रेजी में दें। अंग्रेजी समाचार-पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन देते समय विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख करें कि "अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र" का हिंदी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस बारे में पूर्ण लिंक भी दिया जाए"।

इसके साथ-साथ हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(विनय शील ओबरॉय)
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

वितरण:-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी ब्यूरो प्रमुख।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम आदि।
3. वेबमास्टर को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. गार्ड फाइल।

12.07.2016